न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1575–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील नागौद जिला सतना प्रकरण क्रमांक 16/अ–12/11–12.

.....

लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा तनय रामप्रताप मिश्रा,
निवासी नागौद तहसील नागौद, जिला सतना म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

हरिओम मिश्रा तनय श्री राम प्रताप मिश्रा,
निवासी नागौद तहसील नागौद, जिला सतना म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री गंगाप्रसाद तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री जसराम विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.10.15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 1575–एक/12 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में तहसीलदार, नागौद

जिला सतना के प्रकरण कमांक–16/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–3–12 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । गैर निगराकार हरिओम द्वारा भूमि खसरा नंबर 94/2 एवं 95 के सीमांकन का आवेदन दिनांक 8–6–11 तहसीलदार को दिया गया । निगराकार लक्ष्मण के बताए अनुसार खसरा नंबर 94/1, 94/2 एवं 95 निगराकार एवं गैरनिगराकार की पैतृक भूमियां हैं । निगरानी मेमों में लिखे अनुसार अविभाजित खसरा नंबर 94 में एक बोर रहा है, जो निगराकार लक्ष्मण द्वारा उसका होना कहा जा रहा है । राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 7–11–11 में लिखे अनुसार भूमि सर्वे नंबर 94/2 एवं 95 (जिसका सीमाकंन आवेदन हरीओम ने दिया था) में उक्त बोर स्थित है तथा प्रतिवेदन में लिखे अनुसार हरीओम ने राजस्व निरीक्षक को बताया कि यह बोर उसके द्वारा खुदाया गया है ।

लक्ष्मण द्वारा आपत्ति दिनांक 9–11–11 में यह कहा गया था कि निगराकार ने चोरी छिपे 6–11–11 का स्थल सीमांकन कराया । स्थल पंचनामा दिनांक 6–11–11 में यह लिखा है कि लक्ष्मण द्वारा आपत्ति की गई कि उन्है सूचना नहीं मिली एवं प्रतिवेदन दिनांक 7–11–11 में यह लिखा है कि लक्ष्मण मौके पर उपस्थित थे लेकिन पंचनामें में हस्ताक्षर नहीं किये । इसके बाद गैर निगराकार हरिओम ने दिनांक 8–12–11 को आपत्ती आवेदन का उत्तर दिया, जिस पर 31–12–11 को तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को सभी पक्षों को विधिवत सूचना देकर सीमांकन करने का आदेश दिया गया । तदुपरान्त राजस्व निरीक्षक द्वारा 29–1–12 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । इस बीच निगराकार लक्ष्मण ने दिनांक 28–12–11 को खसरा नंबर 94 के नक्शा तरमीम को लेकर पुनः आपत्ति की, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उन्हें दिनांक 26–12–11 को खसरा नंबर 94 के नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि इसकी तरमीम हो चुकी है, किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि उक्त तरमीम की कार्यवाही राजस्व निरीक्षक ने हरिओम से मिलीभगत कर मनमानी तरीके से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये कर दी है । तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–12–11 के पालन में किये गये स्थल पंचनामें में दिनांक 20–1–12 में यह लिखा है कि लक्ष्मण द्वारा खेत में घुसने से, फसल की नुकसानी का बिन्दु उठाते हुये, मना कर दिया गया तथा ऐसा ही राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 24–1–12 में भी लिखा है । प्रतिवेदन दिनांक 24–1–12 में यह भी लिखा है कि लक्ष्मण मौके पर उपस्थित था, उसे पूरी सीमाये मालूम है, उसने खूद आपत्ती करने के बाद भी जब दल गया तो सीमाकंन नहीं होने दिया, तथा यह कि पूर्व सीमाकंन को ही प्रमाणित कर दिया जाय । तदुपरान्त तहसीलदार

द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–3–12 से स्थल पंचनामा दिनांक 6–11–11 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 7–11–11 की पुष्टि यह कहते हुए दी कि राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 24–1–12 एवं स्थल पंचनामा दिनांक 20–1–12 से यह स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता (लक्ष्मण) सीमाकंन की पुष्टि नहीं होने देना चाहते ।

3/ प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(1) क्या पक्षकारों की पैतृक भूमियों का विधिवत बंटवारा एवं नक्शा तरमीम सीमाकंन की विषयांकित कार्यवाही के पूर्व हुआ था या नहीं ।

(2) पैतृक भूमियों में बनवायी गई सिचाई की बोरिंग किस पक्षकार द्वारा बनवाई गई थी, एवं यह बोरिंग जिस पक्षकार द्वारा बनवाई गई थी क्या विभाजन उपरान्त उसके हिस्से की भूमि में यह बोरिंग आ रही है या नहीं । साथ ही यदि यह बोरिंग दोनों पक्षकारों के पिता/पूर्वज द्वारा कराई गई थी अथवा यदि यह बोरिंग दोनों पक्षकारों द्वारा पैसा मिलाते हुये कराई गई थी, तो संयुक्त संपत्ति का विभाजन किस प्रकार किया जाना चाहिये था ताकि दोनों पक्षकारों को पैतृक संपत्ति के विभाजन उपरान्त प्रत्येक के अधिकार के अनुसार लाभ प्राप्त होते ।

(3) प्रकरण में निगराकार लक्ष्मण द्वारा की जा रही आपत्तियों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यह आपत्तियां इस कारण वश उठाई क्योंकि उपरोक्त बिन्दु 1 एवं 2 के संबंध में उनका समाधान नहीं था । जहां एक ओर, यदि वे (लक्ष्मण) मौके पर उपस्थित थे तो हस्ताक्षर करने से मना करना सही नहीं माना जा सकता, तो वही दूसरी ओर यदि सीमाकंन की कार्यवाही से खड़ी फसल को नुकसान होने की संभावना बनती हो तो इस बिन्दु के आधार पर ऐसी सीमाकंन की कार्यवाही को पूरी तरह सही भी नहीं माना जा सकता (बगैर फसल नुकसानी के मुआवजे के बिन्दु का समाधान किये)।

4/ उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में यह प्रकरण निम्न निर्देशों के साथ तहसीलदार, नागौद जिला सतना को प्रत्यावर्तित किया जाता है :–

वह अपने प्रकरण कमांक 16/अ–12/11–12 पुनः खोलें एवं पूर्व बिन्दु कमांक 1 व 2 के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण सहित अपने अपने पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुये बोलता हुआ निर्णय पारित करें । इस निर्णय में उभयपक्ष की पैतृक भूमि खसरा नंबर 94 एवं 95 तथा उनमे स्थित सिचाई बोर एवं अन्य मूल्यवान स्थावर संपत्तियों को अभिलेख

पर लेते हुये पैतृक संपत्ति का प्रत्येक पक्षकार के अधिकार के अनुसार विभाजन होना सर्वप्रथम सुनिश्चित करें । यदि ऐसा विभाजन पहले हो चुका हो तो उसे विधिवत इस प्रकरण के अभिलेख में संयोजित करें । इसी के क्रम में यह देखें कि बंटवारा उपरान्त विभाजित पैतृक भूमि का सक्षम अधिकारी के आदेश के आधार पर तथा विधिक प्रकिया का पालन करते हुये, नक्शा तरमीम हुआ है या नहीं । यदि ऐसी तरमीम पहले नहीं हुई हो तो उसे विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश के आधार पर अब सुनिश्चित करें ।

4/ इसके उपरान्त उभयपक्ष एवं सरहदी कृषकों/हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देते हुये आवेदक की भूमि के सीमाकंन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण करायें ।

5/ उपरोक्त के प्रकाश में तहसीलदार का विषयांकित आदेश दिनांक 30–3–12 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये नये सिरे से प्रकरण क्रमांक 16/ए–12/11–12 में आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हो ।

अभिलेख वापस हो ।

प्रकरण दा0 द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर